

बिहार सरकार,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

जी0एस0आर0—3600—पटना, दिनांक— 05.05.2015

सरकार की राय में राज्य के किसानों को अपनी उपज का सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने तथा गेहूँ की उपलब्धता एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य में अधिप्राप्ति केन्द्रों का संचालन आवश्यक एवं समीचीन है।

2. रबी विपणन मौसम 2015-16 के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था के माध्यम से गेहूँ की अधिप्राप्ति करने हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया जाता है एवं बिहार राज्य खाद्य निगम तथा पैक्स को अधिप्राप्ति अभिकरण के रूप में प्राधिकृत किया जाता है। बिहार राज्य खाद्य निगम, प्रत्येक प्रखंड में अपने क्रय केन्द्रों के माध्यम से गेहूँ अधिप्राप्ति करेगा। प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) द्वारा किसानों से गेहूँ का क्रय कर बिहार राज्य खाद्य निगम के माध्यम से अधिप्राप्ति का कार्य सम्पादित किया जायेगा। बिहार राज्य खाद्य निगम, पैक्सों द्वारा खरीदे गये गेहूँ एवं अपने क्रय केन्द्रों पर किसानों से खरीदे गये गेहूँ की गुणवत्ता की जाँच कर उक्त गेहूँ का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत किया जायेगा।

3- उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) भारत सरकार के पत्र सं0 4(3)/2014 पी0वाई0 -I दिनांक - 12.11.2014 के द्वारा रबी विपणन मौसम 2015-16 के अन्तर्गत गेहूँ का निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नवत् है :-

(रूपये प्रति क्वींटल)

गेहूँ 1450.00

4. रबी विपणन मौसम 2015-16 के अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम दिनांक- 05.05.2015 से 31.07.2015 तक के लिए प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(पंकज कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- प्र010/र0वि0अधि0-22/2015- 3600 खाद्य, पटना/दिनांक - 05.05.15
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, गुलजारबाग, पटना-7 को अनुलग्नक सहित सूचना एवं गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए गजट की एक सौ प्रतियाँ अद्योहस्ताक्षरी को शीघ्र भेजने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- दो हार्ड प्रति एवं एक सी.डी.

(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव।

